पांचवा अध्याय

निष्कर्ष एवं सुझाव

निष्कर्ष

महाराष्ट्र में दलित महिलावो का सामजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण ; नागपुर और चंद्रपुर जिलो में एक तुलनात्मक अध्ययन इस विषय के अध्ययन के अंत में इस निष्कर्ष तक पहुंचा हूँ कि प्रस्तुत अध्ययन की परिकल्पना सत्य सिध्द हुयी हैं। दलित समुदाय की महिलावो की सामजिक तथा आर्थिक स्थिति किस प्रकार से है और विशेष तौर पर नागपुर और चंद्रपुर जहा दलित महिलावो की संख्या ज्यादा पैमाने पर है वहा इस अध्ययन का विशेष महत्व प्राप्त होता है ज्यो की इन दोनों जिलो की दलित महिलावो की आज भी सामजिक तथा आर्थिक स्थिति किस प्रकार से है और उनका सशक्तिकरण किस प्रकार से हो रहा है इस संदर्भ में निम्नांकित निष्कर्षों तक पहुचा हूँ।

आर्थिक उन्नति के कारण दलित समुदाय के सामाजिक स्तर में सुधार नहीं होता। सामाजिक स्तर में सुधार के लिए सामाजिक संघर्षो एवं राजनीतिक शक्ति की जरूरत होती हैं। डॉ. आंबेडकर के सामाजिक संघर्षों एवं उनके व्दारा किये गये क़ानूनी प्रावधानों के कारण दलित समुदाय के सामाजिक स्तर में सुधार हुआ हैं।

दलित समुदाय की महिलावो की आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति के कारन उन्हें आरक्षण की आवश्यकता हैं। आर्थिक रूप से गरीबी रेखा के ऊपर रहने वालेदलित समुदाय की लोगों को भी आरक्षक की आवश्यकता हैं। क्योंकि भारत में गरीबी रेखा की परिभाषा

मात्र एक छलावा हैं। और दलित समुदाय के लोग अमीर हो या गरीब दोनों के ही साथ सामाजिक भेदभाव होता हैं। इसलिए आरक्षण सामाजिक मानदण्डों पर ही मिलना चाहिए।

दलित समुदाय की महिलावो की पारंपरिक व्यवसायों में परिवर्तण आया हैं। लेकिन यह परिवर्तण मुख्य रूप से डॉ. आंबेडकर के सामाजिक संघर्ष एवं दलितों के धार्मिक परिवर्तन के कारण आया हैं। सरकार द्वारा चलाई जा रही आर्थिक नीति से दलितों में उत्पन्न गरीबी को कम नहीं कर सकी। गरीबी रेखा के निचें रहने वाले दलित महिलावो का प्रमाण सामान्य समान्य प्रमाण से कही जादा हैं।

दलित महिलावो की आर्थिक सशक्तिकरण संगठित क्षेत्र में रोजगार बढ़ने चाहिए थे। लकिन संगठित क्षेत्र में रोजगार कम हुये है और असंगठित क्षेत्र में रोजगार बढे हैं। और नागपुर तथा चंद्रपुर जिलो में देखा जाये तो दलित समुदाय की ज्यादा तर महिलाए असंगठित क्षेत्र में काम कराती है या उनको उसी दिशा की ओर ढकेला जा रहा हैं। असंगठित क्षेत्र के रोजगार दलित महिलावो को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक रूप से सशक्त नहीं बना सकता। क्योंकि असंगठित क्षेत्र में रोजगार करने वाले लोगों का संपूर्ण वक्त जीवन की प्राथमिक जरूरतों को पूरा करने में ही जाता है।

भारतीय संविधान में समाजवादी समाजरचना का अंतर्भाव और वैश्विक स्तर पर बढ़ते सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व को देखकर यह स्पष्ट किया है कि देश का समान आर्थिक विकास, कार्यक्षमता और लाभ को बढ़ाने के लिए उद्योगों का सार्वजनिकीकरण होना चाहिए। भारत में उद्योगों का सार्वजनिक क्षेत्र में होने से आरक्षण नीति अमल में आएगी जिससे दलित समुदाय के लिए आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति के अवसर मिलेंगे। उद्योगों का उद्देश मुनाफा कमाना न रहकर समाज एवं राष्ट्र का विकास हो जाएगा। ऐसी स्थिति देश के दबे-कुछले, पिड़ीत, दलित, आदिवासी, मागासवर्ग को उन्नति के लिए अवसर मिलेगा।

महाराष्ट्र सरकार की आर्थिक और सामजिक योजनाये चल रही है किन्तु इन योजनावो का फायदा दलित समाज की महिलावो को होता हवा दिख नहीं रहा है । नागपुर और चंद्रपुर जिलो की ग्रामीण दलित महिलाए आज भी अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए दूसरी जाती की लोगो के व्यवासाय पर निर्भर है और इन्ही वजह से उनका सामजिक और आर्थिक सशक्तिकरण या विकास हो नहीं रहा है । और इन दोनों जिलो में देखा जाये तो ग्रामीण क्षेत्र की दलित महिलावो की शिक्षा में भी कमिया दिख रही है ख़ास तौर पर चंद्रपुर जिलो में देखा जा सकता है की जो तालुके आदिवासी जनसंख्या वाले है वहा दलित समुदाय की कुछ जातिता है तथा वहा दलित समुदाय की महिलावो की शिक्षा का प्रमाण ना की बराबर है । और चंद्रपुर जिलो की शहरी विभाग की बात की जाये तो शहरी क्षेत्र में भी ज्यादातर दलित महिलावो में शिक्षा की कमी दिखाई दी ज्याति है। किन्तु चंद्रपुर जिलो की शहरी विभाग की महिलाए कुछ पैमाने पर आर्थिक शाश्कतिकरण की दौर से गुजराती हुई दिख रही है और उनका कुछ पैमाने पर छोटे-मोटे व्यवसाय करने के प्रति आकर्षण दिख रहा है।

नागपुर जिलो की दलित महिलावो की सामजिक तथा आर्थिक स्थिति देखि जाये तो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाए आज भी अपनी पारंपरिक व्यवसाय से जुडी हुई दिखाई देती है तथा शहरी विभाग की महिलाए नए उद्योग व्यवसाय को कराती दिख रही है जिनसे उनकी आर्थिक सशक्तिकरण के बारे में बोला जा सकता है । नागपुर जिलो की ग्रामीण क्षेत्र में दलित महिलावो की शिक्षा का अभाव दिखाई पड़ता है किन्तु नागपुर जिलो की शहरी विभाग को देखा जाये तो महाराष्ट्र में दलित महिलावो की शिक्षा की क्षेत्र में शहरी विभाग को तीसरे स्थान पण पाया गया है ।

आर्थिक विकास से देश का विकास से हो रहा है। लेकिन इस विकास का फायदा दलित समुदाय को नही मिल रहा है। आर्थिक नीति के चलते किसानों को निस्सन्देह फायदा

हुआ हैं। क्योंकि किसानों को अपना उत्पाद बेचने के लिए व्यापक बाजार, कृषि उत्पादों के भंड़ारण, संरक्षण तथा खाद्योपयोगी वस्तुओं में रूपांतर सम्बन्धी उद्योगों को बढ़ावा मिला हैं। आधुनिक बीज एवं मशीनों से कृषि उत्पादकता बढ़ी हैं। लेकिन इस सभी का फायदा बड़े किसानों को ही मिल रहा हैं। क्योंकि इन सुविधाओं का कृषि में इस्तमाल काफी महंगा हैं। दलित किसान ज्यादातर अल्पभूधारक या सिमांत किसान हैं। जिसके चलते वे इन सुविधाओं का उपयोग नहीं कर सकते और इस्तेमाल करते भी हैं तो उनकी उत्पादन की लागत बढ़ जाती हैं। जिसके परिणाम स्वरूप छोटें दलित किसान विवश होकर अपनी जमीन बेच कर खेतिहर मजदूर बनने को विवश हो रहे हैं।

दलित समुदाय की महिलावो और राष्ट्र की आर्थिक उन्नति के लिए बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रन रखना होगा। लगातार बढ़ती जनसंख्या के कारण नैसर्गिक साधनसंपत्ति एवं रोजगार पर दबाव बढ़ रहा है। खाद्यान्न की पूर्ति के लिए कृषि क्षेत्र पर भी दबाव बढ़ रहा है। भारत में लोकसंख्या नियंत्रण के द्वारा ही देश और दलित समुदाय का विकास किया जा सकता है।

दलित समुदाय विभिन्न जातियों एवं धर्मों में बटा है। दलित समुदाय की सकारात्मक सांस्कृतिक पहचान विभिन्न जाति एवं धर्मों में बटे दलितों को एक करेगी। जिससे दलित समुदाय अपनी शक्ति बढ़ा सकता है, और शक्ति से ही समस्याओं का समाधान किया जाता है, फिर वह समस्याएँ सामाजिक, धार्मिक, राजनितीक या आर्थिक कोई भी क्यों ना हो। इसलिए विभिन्न जाति, धर्मों में बटे अनुसूचित जातियों को 'दलित' सकारात्मक पहचान का स्विकार करना चाहिएँ।

सरकार द्वारा चलाई कोई भी नीति अपने आप में अच्छी या बुरी नही होती, वह निर्भर होता है उस नीति का क्रियान्वयन करने वाली यंत्रणा पर। इसलिए दलित समुदाय की

महिलावो की आर्थिक एवं सामजिक सशक्तिकरण के लिए कुछ अच्छा किया जा सकता है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन का मानना है कि "महाराष्ट्र की महिलावो का सामजिक तथा आर्थिक सशक्तिकरण ज्यादा हो सकती है, यदि सही ढंग से शिक्षा, स्वास्थ्य और भूमि सुधार संबंधी नीतियों को लागू किया जाए।" सामाजिक न्याय के तहत दलित समुदाय की महिलावो के लिए सामाजिक, आर्थिक चुनौतियों से सामना करने लायक बनाने का प्रयत्न होना चाहिए। इसलिए दलित महिलावो को तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि भूमि उपलब्ध करानी चाहिए जिससे दलितो का सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण (विकास) संभव होगा।

सुझाव

डॉ. अम्बेड़कर भारतीय जातिव्यवस्था के क्रूर पहलुओं को जानते थे, इसलिए दलितों को उन्नति के अवसर देने के लिए उन्होंने भारतीय संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की। लेकिन उनका मानना था कि आरक्षण से ही दलितों की सारी समस्याएँ समाप्त नहीं हो सकती, संघर्ष से ही दलित समाज आर्थिक एवं सामाजिक शोषण से मुक्ति पा सकता है। इसलिए दलित समुदाय ने आरक्षण को मात्र आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति का साधन मानकर सतत संघर्ष करना चाहिएँ।

महाराष्ट्र में आर्थिक विकास परियोजनाओं को अमल में लाने में बड़े पैमाने पर कृषि जमिन का अधिग्रहन किया जाता है। तथा इन जमीनों पर ज्यदातारिन ग्रामीण क्षेत्र की दलित महिलाए आर्थिक तौर पर निर्भर रहती है। यह दलित महिलावो की दृष्टि से गंभिर आर्थिक समस्या है। महाराष्ट्र राज्य में और ख़ास तौर पर नागपुर और चंद्रपुर जिलो में दलित समुदाय की लोगो के पास कुछ जमीं है किन्तु ज्यदातारिन दलित समुदाय की जमीं यह सरकार द्वारा ली गई है। और जमीं के बदले दलित समुदाय को जिनकी जमीं सरकार द्वारा ली गई है उनको सरकारी मुलामाजा दिया ज्याता है तथा उन्हें सरकारी नोकरी देने का प्रयास किया याना चाहिए । किन्तु इन दोनों जिल्हो में जमिन अधिग्रहन में जिन दलित परिवारों को विस्थापित किया जाता है उन परिवारों के सदस्यों को ऐसी परियोजनाओं में स्थाई रोजगार मुहैया कराना चाहिएँ, अधिग्रहीत भूमि की योग्य किमत दी जानी चाहिएँ। उस परियोजना के कुछ शेयर दलित परिवारों को देकर उसके लाभांश में उन्हें कुछ हिस्सा देना चाहिए।

नागपुर और चंद्रपुर जिलो में शहरी विभाग में दलित समुदाय की महिलाओ की शिक्षा का प्रमाण ज्यादा दिखाई देता है किन्तु ग्रामीण क्षेत्र की दलित महिलाओ की शैक्षणिक स्थिति दयनीय दिखाई देती है । और इन्ही वजह से दलित समुदाय की महिलाओ का सामजिक

सशक्तिकरण कम पैमाने पर दिखाई देता है। किन्तु दलित महिलाओ की शैक्षणिक स्थीती में कमी की वजह है सरकारी योजनाओं का अमल सही तरीकेसे न होना। वही दूसरी और नागपुर और चंद्रपुर जिलो की शहरी विभाग में दलित महिलावो की शिक्षा की प्रमाण ज्यादा है।

दलित महिलाओ की सामाजिक एवं आर्थिक, उन्नति हेतु उनके मनोवैज्ञानिक दशा व सोच में परिवर्तन लाना जरूरी है। अध्ययन कर्ता को नागपुर और चंद्रपुर जिलो में दलित महिलाओ की सामजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण का अध्ययन करने के बाद कुछ सुझाव प्राप्त हुए है जो कुछ इस तरह से है ;

1) सामाजिक एवं आर्थिक खुशहाली के लिए प्रत्येक दलित परिवार के पास पर्याप्त खेती योग्य भूमि होनी चाहिए। क्योकि नागपुर और चंद्रपुर जिलो की ज्यदातारिन महिलाए खेती एवं खेती से सम्बंधित उद्योग द्वारा अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारानेका प्रयास कराती है।
2) दलित खेतिहर मजदूरों को गुजारे योग्य मजदूरी मिले, मजदूरी भुगतान में स्त्री-पुरूष समानता, काम की सुरक्षा और कार्यक्षेत्र में बेहतर माहौल सम्बन्धी कानून बनाये और लागू किये जायें। कानून का सम्मान न करने वालों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही हो।
3) राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर विधायी समितियाँ बनायी जायें ताकि दलितों को जमीन पर गैर-दलितों के कब्जे की पहचान की जा सके। दलितों की जमीन पर कब्जा किये गैर-दलितों से मुआवजा वसूला जाये, जमीन के असली हमदारों की पहचान हो और उनके नाम की जमीन उन्हें वापस की जाये तथा अदालतों द्वारा गैर-कानूनी कब्जा करने वालों को दण्डित किया जाये।

4) संविधान के अनुच्छेद 21 में संशोधन किया जाये ताकि नागरिकों, खास तौर से अनुसूचित जाति-जनजाति को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा, आवास, कपड़ा, सामाजिक सुरक्षा आदि बुनियादी सेवाएं हासिल करने का अधिकार हो। कम आमदनी वाले दलितों को गुजारे लायक मजदूरी, पाँच एकड़ कृषि योग्य भूमि या रोजगार प्राप्त करने के अधिकार मिलें।

5) दलितों के लिए नि:शुल्क व अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था तत्काल लागू हो। तथा नागपुर और चंद्रपुर जिलो की ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओ पर विशेष प्रावधान किया जाये । दलित महिलाओ की शिक्षा दलित क्षेत्रों के स्कूलों में बेहतर सुविधाएं हों और व्यावसायिक एक तकनीकी शिक्षा के जरिये दलितों को बाजारोन्मुखी शिक्षा दी जाये। दलित बच्चों के लिए छात्रवृत्तियाँ तथा निरक्षरों की संख्या के अनुपात को देखते हुए धनराशि आवंटित की जाये।

6) दलित महिलाओं को विशेष महिला श्रेणी में शामिल किया जाये। इसके मुताबिक जनगणना रिपोर्ट, क्रियान्वयन रिपोर्ट और विकास रिपोर्ट में उनके लिए अलग से आँकड़ें हों। इन्हें विकास योजनाओं द्वारा मुख्यधारा से जोड़ने के उपाय किये जाये राष्ट्रीय एवं राज्य महिला आयोगों को निर्देश दिया जायें। कि वे इस श्रेणी की महिलाओं की स्थिति का आकलन अपनी वार्षिक रिपोर्ट में प्रस्तुत करें।

7) अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार (निरोधक) अधिनिमय, 1989 एवं नियम 1995 को कड़ाई से लागू किया जाये। जातीय हिंसा फैलाने वाले दबंग लोगों और इनके साथ नापाक रिश्ता रखने वाले पुलिस अधिकारियों पर मुकदमे चलाये जायें। दलितों पर जुल्म ढाने के मामलों में दोषियों को सामूहिक दण्ड जैसी व्यवस्था की जाये, जिससे अत्याचारी कानून को चकमान दे पायें।

8) महाराष्ट्र की नागपुर और चंद्रपुर जिलो में अकादमिक, स्वायत्तशासी संस्थाओं से लेकर विश्वविद्यालयों और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में दलित महिलाओ का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाये। इस नियम का जो संस्थाएं पालन न करें, उनकी मान्यता समाप्त कर दी जायें और उन्हें मिलने वाले अनुदान को भी बन्द कर दिया जाये। निजी उद्योगया व्यावसायिक इकाइयों में भी इसी तरह की व्यवस्था तत्काल लागू की जाये।

9) महाराष्ट्र राज्य की आर्थिक बजट में दलित महिलाओ की सामजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण करने हेतु विशेष प्रावधान किया जाये । तथा इन दोनों जिलो में दलित महिलाओ की आबादी के अनुसार आवंटित राशि तय की जाये। इस राशि का अन्यत्र दुरूपयोग करने वालों विरूद्ध कार्यवाही की जाये।

10) दलित समुदाय तथा नागपुर और चंद्रपुर जिलो की दलित महिलाओ की सुरक्षा राज्य का ही एकमात्र दायित्व होना चाहिए। जातिवादी संघर्ष से जूझते क्षेत्रों की पहचान कर वहाँ सशस्त्र बल तैनात किये जायें। आत्मरक्षा के मद्देनजर दलितों को हथियारों के लाइसेंस प्रदान किये जायें। इतना ही नहीं, दलित महिलाओं को हथियार चलाने का विशेष प्रशिक्षण दिया जाये।

11) नागपुर और चंद्रपुर जिलो की महिलाओ की आर्थिक सशक्तिकरण हेतु उन्हें जागतिक व्यापार संकुल का हिस्सा करना चाहिए जिनकी माध्यम से इन दोनों जिलो की महिलाओ को व्यापार करने हेतु जागतिक संस्थान प्राप्त हो और उनका आर्थिक सशक्तिकरण मजबूत हो ।

12) नागपुर और चंद्रपुर जिलो की महिलाओ की शिक्षा की क्षेत्र में राज्य तथा केंद्र सरकार द्वारा वेशेष तौर पर आर्थिक प्रावधान कारना चाइये क्युकी शिक्षा के बिना

दलित महिलाओ का सामजिक सशक्तिकरण नहीं हो पायेगा । इसी वजह से दलित समुदाय की महिलाओ का शैक्षणिक स्थिति मजबूत किया जाये ।

13) नागपुर और चंद्रपुर जिलो की ज्यो महिलाए दलित सामजिक सुधार हेतु कही वर्षो से प्रयास कराती आ रही है उनका सन्मान हो तथा उनको सरकार द्वारा विशेष तौर पर आर्थिक साहायता करने हेतु सरकारी बजट में प्रावधान हो।

अत: आवश्यक हैं कि दलित महिलाओ की सामजिक तथा आर्थिक स्थिति को देखकर तथा उनकी स्थिति को ध्यान में रखकर राज्य व्दारा उन्हें सुदृढ़ बनाने के लिए सशक्त प्रयास होने चाहिए।